

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 969/2011/चूरू.

वाणिज्यिक कर अधिकारी
चूरू

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स अर्जुनदास धनराज
सादुलपुर

प्रत्यर्थी

2. अपील संख्या – 524/2012/चूरू

वाणिज्यिक कर अधिकारी
चूरू

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स पुजारी फिलिंग स्टेशन
देराजसर, चूरू

प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित ::

श्री जमील जई,
उप-राजकीय अभिभाषक
श्री वी.के.गर्ग,
अभिभाषक

...अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थीगर्ग की ओर से

निर्णय दिनांक **27.03.2014**

निर्णय

ये दोनों अपीलें वाणिज्यिक कर अधिकारी, चूरू (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) की ओर से उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत क्रमशः अपील संख्या 392/आरवैट/चूरू/09-10 एवं अपील संख्या 182/आरवैट/चूरू/10-11 में पारित पृथक-पृथक आदेश दिनांक 13.09.2010 एवं 16.06.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। उपरोक्त दोनों अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जाकर निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारियों को राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12(28)एफडी/टैक्स/207-145 की पालना में कम्पोजीशन स्कीम के अन्तर्गत दिनांक 09.04.2007 तक आवेदन प्रस्तुत करना था, जो प्रस्तुत नहीं किये गये, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने कर योग्य बिक्री पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर, ब्याज एवं शास्ति निम्न तालिका के अनुसार आरोपित किया है :-


अपील संख्या	कर	शास्ति	ब्याज
969/11	72,649	280	20644
524/12	22196	500	6510



उक्त तालिका के अनुसार आरोपित कर, शास्ति एवं ब्याज के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.09.2010 एवं 16.06.2011 पारित कर आरोपित कर,शास्तियों एवं ब्याज को अपास्त करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये कि आयुक्त के परिपत्र क्रमांक एफ.120/एनएपी/ टैक्स सीसीटी/85 पीजे.।।।/1247 दिनांक 19.07.2007 में दिये गये निर्देशों की पालना करते हुए अपीलार्थी से अधिसूचना संख्या एफ. 12(28) एफडी/टैक्स/207-145 दिनांक 09.03.2007 के तहत विकल्प लिया जाकर उसके प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए पुनः कर निर्धारण की कार्यवाही की जावे। साथ ही अपीलार्थियों को निर्देश दिये कि वह उक्त आदेश की प्राप्ति के 60 दिवस में सक्षम अधिकारी के समक्ष रिकार्ड सहित उपस्थित होकर पुनः कर निर्धारण की कार्यवाही करावें। अपीलीय अधिकारी के उक्त प्रकार से पारित आदेशों के विरुद्ध कर निर्धारण अधिकारी की ओर से उक्त दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारियों द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी कम्पोजीशन स्कीम फोर रजिस्टर्ड डीलर्स हैविंग रिटेल आउट लेट आफ पेट्रोलियम कम्पनीज 2006 की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(28)एफडी/टैक्स/2007/145 दिनांक 9.3.2007 के परिप्रेक्ष्य में ना तो उक्त योजना का लाभ लेने हेतु कोई आवेदन किया और ना ही उक्त अधिसूचना के अनुसार 0.25 प्रतिशत की दर से देय कम्पोजीशन रीशि पर लेट जमा कराई गयी है। उनका कथन है कि उक्त तथ्यों के प्ररिप्रेक्ष्य में कर निर्धारण अधिकारी ने कर योग्य बिक्री पर 0.25 प्रतिशत की दर के बजाय 12.5 प्रतिशत से कर एवं ब्याज आरोपित किया है, जो उचित एवं सही है। उनका कथन है कि उक्त तथ्यों को नजरन्दाज करते हुए आरोपित कर एवं ब्याज को अपास्त करते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित किये हैं,जो अविधिक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारियों की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारियों ने अधिनियम की धारा 3(2) के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र ले रखा है,जिसके तहत 0.25 प्रतिशत की दर से कर अदा किया जा रहा है। राज्य सरकार के द्वारा रिटेल आउटलेट आफ पेट्रोलियम व्यवसायियों हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ. 12(28)एफडी/टैक्स/2007/145 दिनांक 9.3.2007 के द्वारा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत जारी कर लुब्रीकेन्ट,फैन बैल्ट एवं येलो क्लथ पर कम्पोजीशन की गई स्कीम जारी की गई है,इस स्कीम का लाभ लेने हेतु व्यवसायी को तदनुसार 30 दिवस में विकल्प प्रार्थना पत्र पेश करना था यानी अन्तिम तिथि दिनांक 9.4.2007 अर्थात वित्तीय



वर्ष समाप्ति के 9 दिवस तक का समय था, परन्तु इस स्कीम का प्रचार नहीं होने के कारण दूर दराज के व्यवसायियों को इस स्कीम की जानकारी नहीं थी। विद्वान अभिभाषक ने आगे बताया कि इस स्कीम में 3 माह तक देरी से आप्शन प्रस्तुत करने के लिए 25 प्रतिशत अतिरिक्त कर जमा करवा कर अपना विकल्प पेश करना था। इसी स्कीम के क्लॉज 5(4)।। में प्रावधान है कि व्यवसायी वर्ष **Relevant year** की समाप्ति यानी 31मार्च के पूर्व भी अगर स्कीम का आप्शन प्रस्तुत करता है तो उसे 25 प्रतिशत अतिरिक्त कर एवं ब्याज जमा कराना होगा। उनका कथन है कि कर निर्धारण वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 का **Relevant year** दिनांक 31.03.2007 को समाप्त हो गया, जिस कारण से स्कीम की धारा 5(4)।।में आप्शन प्रस्तुत करने की समय सीमा समाप्त हो जाने से इस वर्ष में इस स्कीम का लाभ अपीलार्थी को नहीं मिल सका। इस अधिसूचना के अन्तर्गत स्कीम का लाभ बहुत से व्यापारियों को नहीं मिला, जिसके कारण से उसे नुकसान उठाना पड़ा, यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 व आगे के वर्षों में **Discriminating** है जो नहीं होनी चाहिए, अतः इस कानूनी खामी का लाभ व्यापारियों के पक्ष में जाना चाहिए। विद्वान अभिभाषक ने आगे कथन किया कि यदि यह मान भी लिया जावे कि कानून की सबको जानकारी है तो यह अवधारणा पूरी तरह गलत है। इस कथन के समर्थन में उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स मोतीलाल पदमावत सुगर मिल बनाम स्टेट आफ यू.पी. (188 आई टी आर जे 326) के प्रकरण में पारित निर्णय को उद्धरित किया।


उनका कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवहारियों ने वैट-11 वार्षिक बिक्री विवरण पत्र पेशकर 0.25 प्रतिशत से कम्पोजीशन टैक्स जमा करवाया है और व्यवहारियों को पंजीयन प्रमाण पत्र अधिनियम की धारा 3(2) के अन्तर्गत दिये गये है, जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 23 में किये गये है। उनका कथन है कि यदि कोई भूल/कमी सुधार है तो कर निर्धारण अधिकारी को अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत नोटिस देने के पश्चात कर निर्धारण आदेश पारित करना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया है। उनका कथन है कि यदि कर निर्धारण में कोई कर वृद्धि की जाती है, तो उसे नियम 48 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु नोटिस देकर कार्यवाही की जानी चाहिए, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने विधिक स्थिति पर पूरी तरह विचार करने के पश्चात प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये हैं, जो पूर्णतः उचित हैं। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में प्रत्यर्थी पुजारी फिलिंग स्टेशन, देराजसर, चूरु की अपील संख्या 973/2011/चूरु के साथ चार अन्य अपीलों का निस्तारण कर निर्णय



दिनांक 20.02.2014 पारित किया, को उद्धरित करते हुए प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा बहस के दौरान बताये गये न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारियों के वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.03.2009 एवं दिनांक 25.03.2009 को अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत पारित किये गये, जिनमें कर एवं ब्याज का आरोपित किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारियों द्वारा अधिनियम की धारा 3(2) के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र ले रखा है, जिसमें कर योग्य बिक्री पर 0.25 प्रतिशत की दर से कर आरोपित करने का प्रावधान है, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 3(2) के अन्तर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र को निरस्त नहीं किया गया है। अधिसूचना क्रमांक एफ. 12(28)एफडी/टैक्स/2007/145 दिनांक 9.3.2007 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर कर योग्य बिक्री पर करारोपण करते हुए एकतरफा कर निर्धारण आदेश पारित किये गये हैं, जिससे प्रत्यर्थी व्यवहारियों को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं किया गया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। प्रत्यर्थी व्यवहारी अधिनियम की धारा 3(2) के अन्तर्गत पंजीकृत व्यवसायी है, कर निर्धारण अधिकारी को उनके आप्शन को निरस्त करने से पूर्व सुनवाई का समुचित प्रदान करने के पश्चात ही करारोपण करना चाहिए था, जो नहीं किया गया है, जिससे कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन किया जाना विधिक नहीं है। प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कर बोर्ड द्वारा अपील संख्या 960 से 962/2011 एवं 973 व 974/2011/चूरु निर्णय दिनांक 20.02.2014 उद्धरित किया गया है, जिसमें प्रत्यर्थी मैसर्स पुजारी फिलिंग स्टेशन, देराजसर का प्रकरण सम्मिलित था, में पारित निर्णय के एवं विवादित अपीलों के तथ्य समान होने से विवादित अपीलें कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 20.02.2014 से आच्छादित है। अतः कर बोर्ड के पारित निर्णय 20.02.2014 को मद्देनजर रखते हुए प्रतिप्रेषित आदेश की पालना सुनिश्चित करें।

विद्वान अपीलीय अधिकारी ने इन्हीं तथ्यों का विश्लेषण करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं ब्याज को अपास्त कर प्रकरण को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये हैं कि "अपीलार्थी को श्रीमान आयुक्त महोदय के परिपत्र क्रमांक एफ. 120/एनएपी टैक्स सीसीटी/85 पीजे. दिनांक 19.07.2007 में दिये गये दिशा निर्देश की पालना करते हुए अपीलार्थी से अधिसूचना क्रमांक एफ.12(28)एफडी/टैक्स/2007/145 दिनांक 9.3.2007 के तहत विकल्प लिया जाकर उसके प्रार्थना पत्र पर delay condone करते हुए पुनः कर निर्धारण की कार्यवाही की जावे।" यह पीठ



अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित पृथक-पृथक प्रतिप्रेषित आदेश दिनांक 13.09.2010 एवं 16.06.2011 में किसी प्रकार की अविधिकता नहीं पाती है,इसलिए उनके आदेश को यथावत रखते हुए राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।


(सुनील शर्मा)

सदस्य